

प्रेषक,

निदेशक।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,

बिहार।

पटना, दिनांक:- 19/05/2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2026-27 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत अनु० जाति और अनु० जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम-1989, नियम, 1995 (समय-समय पर यथा संशोधित) एवं नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम-1955 के आलोक में अत्याचार से राहत अनुदान हेतु अनु० जाति के लिए कुल ₹6,60,00,000/- (छः करोड़ साठ लाख रु०) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 में विभागीय स्वीकृत्यादेश सं०-45 दिनांक-18.05.2026 द्वारा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत अनु० जाति और अनु० जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम-1989, नियम-1995 (समय-समय पर यथा संशोधित) एवं नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम-1955 के आलोक में अत्याचार राहत अनुदान हेतु अनु० जाति के लिए ₹20,00,00,000/- (बीस करोड़ रु०) मात्र की स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त स्वीकृति में से ₹6,60,00,000/- (छः करोड़ साठ लाख रु०) मात्र की राशि को संलग्न विवरणी के अनुसार जिलों को आवंटित की जाती है।

2. कुल भारित व्यय की राशि वित्तीय वर्ष 2026-27 में मांग सं०-44 के स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्ययकेअंतर्गत अनु० जाति के लिए मुख्य शीर्ष "2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण-उप मुख्य शीर्ष-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-लघु शीर्ष-277-शिक्षा-उपशीर्ष-0011-छात्रवृत्तियां और वृत्तियां-विषय शीर्ष-0011.33.02-मुआवजा-विपत्र कोड सं०-44-2225012770011 के अन्तर्गत विकलनीय है।

3- इस राशि के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी होंगे, जो निकासी की गई राशि की व्यय की विवरणी प्रत्येक माह विभाग को भेजेंगे।

4- इस राशि से अनु० जाति और अनु० जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम-1989, संशोधन अधिनियम-2015, नियम-1995 एवं (संशोधन) नियम-2016 एवं नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम-1955 के धाराओं और नियमों के प्रावधानों के तहत अनु० जाति के पीडित व्यक्तियों को अत्याचार से राहत अनुदान की राशि अनुसूची और उपबन्ध-1[नियम-12(4)] में राहत राशि के लिए मापदण्ड के साथ-साथ नियम-12(4)(46) में मुख्य रूप से हत्या, मृत्यु, सामूहिक हत्या, बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, स्थायी अक्षमता और डकैती के पीडितों को पूर्वोक्त मदों के अधीन संदत्त अनुतोष की रकम के अतिरिक्त अनुतोष अत्याचार की तारीख से मृतक की प्रत्येक विधवा और/या अन्य आश्रितों को प्रति मास की दर से पेंशन भुगतान किया जाएगा साथ ही अधिनियम/नियम के तहत:-(i) पीडित/पीडिता को वैधिक सहायता, (ii) पीडित/पीडिता को यात्रा भत्ता, (iii) पीडित/पीडिता को दैनिक भत्ता, (iv) पीडित/पीडिता को राहत और पुनर्वास इत्यादि पर व्यय की स्वीकृति दी जा सकेगी।

5- इस राशि से विभागीय संकल्प सं०-1825 दिनांक-19.09.2020 द्वारा अनु० जाति और अनु० जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम-15(1) के तहत निर्गत योजना के आलोक में व्यय की स्वीकृति दी जा सकेगी।

6- अत्याचार राहत अनुदान की राशि वित्त विभाग, बिहार के संकल्प संख्या-3808 दिनांक-02 जून, 2017 के आलोक में आधार (वित्तीय और सहायकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 {Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016} के तहत लाभुकों के बैंक खाते को आधार नम्बर से जोड़ कर RTGS/NEFT के माध्यम से भुगतान किया जाएगा।

7- राशि की स्वीकृति के तुरंत बाद ही जिला पदाधिकारी द्वारा अत्याचार राहत हेतु प्रदान की गई वित्तीय सहायता और फौजदारी मुकदमा के संबंध में की गई कार्रवाई की सूचना सरकार के पास विस्तारपूर्वक अपने मन्तव्य के साथ भेजेंगे। साथ ही उक्त प्रतिवेदन की एक प्रति अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग को भी उपलब्ध करायेंगे।

8- राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग द्वारा निर्गत परिपत्र पत्रांक-2561 दिनांक-17.4.98, वित्त विभाग के परिपत्र सं०-3748 दिनांक-05.04.2010 तथा समय समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य परिपत्रों में निहित निदेशों के आलोक में किया जायेगा। इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी निदेशक, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग होंगे।

9- निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी व्यय की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र दिनांक-31-03-2027 तक विभाग को भेजेंगे एवं महालेखाकार से लेखा का सत्यापन कराकर प्रतिवेदन भेजेंगे।

विश्वासभाजन,



निदेशक।

ज्ञापांक-3/निदे०-पी०ओ०ए०(स्था० एवं प्र०)०१-०७/२०२१- 55 पटना, दिनांक-19/05/2026

प्रतिलिपि : महालेखाकार, बिहार/ वित्त विभाग, बजट शाखा/प्रधान सचिव, गृह (विशेष) विभाग/अपर पुलिस महानिदेशक (क०व०) अपराध अनुसंधान विभाग बिहार/ संबंधित उप विकास आयुक्त/निदेशक, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग/संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी/आई० टी० मैनेजर, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग/सांख्यिकी कोषांग, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।



निदेशक।

ज्ञापांक-3/निदे०-पी०ओ०ए०(स्था० एवं प्र०)०१-०७/२०२१- 55

पटना, दिनांक 19/05/2026

प्रतिलिपि : संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।



निदेशक।

बिहार सरकार
अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग
विवरणी

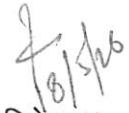
वित्तीय वर्ष 2026-27 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के तहत अनु० जाति और अनु० जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 तथा नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के कार्यान्वयन हेतु आवंटित राशि की विवरणी:-

राशि लाख में

क्र०सं०	जिला का नाम	कुल राशि
1	2	3
1	ARARIA	10,00,000
2	ARWAL	5,00,000
3	AURANGABAD	20,00,000
4	BANKA	10,00,000
5	BEGUSARAI	5,00,000
6	BHAGALPUR	10,00,000
7	BHOJPUR	20,00,000
8	BUXAR	15,00,000
9	DARBHANGA	15,00,000
10	GAYA	59,00,000
11	GOPALGANJ	20,00,000
12	JAMUI	10,00,000
13	JEHANABAD	9,00,000
14	KAIMUR	20,00,000
15	KATIHAR	7,00,000
16	KHAGARIA	10,00,000
17	KISHANGANJ	11,00,000
18	LAKHISARAI	10,00,000
19	MADHEPURA	15,00,000
20	MADHUBANI	20,00,000
21	MUNGER	10,00,000
22	MUZAFFARPUR	15,00,000
23	NALANDA	20,00,000
24	NAWADA	15,00,000
25	PASHCHIM CHAMPARAN	10,00,000
26	PATNA	45,00,000
27	PURBI CHAMPARAN	30,00,000
28	PURNA	50,00,000
29	ROHTAS	20,00,000
30	SAHARSA	20,00,000
31	SAMASTIPUR	25,00,000
32	SARAN	30,00,000
33	SHEIKHPURA	10,00,000
34	SHEOHAR	6,00,000
35	SITAMARHI	8,00,000
36	SIWAN	20,00,000
37	SUPAUL	10,00,000
38	VAISHALI	15,00,000
	कुल	6,60,00,000

(छ: करोड साठ लाख रू०)

सं०सं 3/निदे० पी०ओ०ए०(स्था०एवं प्र०)०१-०७/२०२१- 55 दिनांक- 19/05/2026


निदेशक।